संख्या-09/2020/जी-2-43/दस-2020-1(विविध)/दस-2014

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 27 मई, 2020**

विषय:-विभिन्न विभागों/निगमों/उपक्रमों/परिषदों/आयोगों/संस्थाओं में गैर सरकारी अध्यक्ष/उपाध्यक्ष सदस्य एवं सलाहकार के मानदेय, भत्तों एवं अन्य सुविधाओं के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-4/जी-2-144/दस-2014-1(विविध)/ 2014, दिनांक 15 दिसम्बर, 2014 द्वारा गैर सरकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सलाहकार को अन्य सुविधाओं के साथ-साथ कार्यालय तथा आवास, दोनों स्थानों पर प्रति टेलीफोन हेतु अधिकतम रू0 25000.00 वार्षिक तथा गैर सरकारी सदस्य को केवल आवास हेतु अधितम रू0 15000.00 वार्षिक अनुमन्य है। उक्त सुविधा हेतु निर्धारित व्यय सीमा के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-8/2016/जी-2-148/दस-2016-1(विविध)/दस-2014, दिनांक 05 अक्टूबर 2016 से निजी मोबाईल फोन के उपयोग के व्यय को भी सम्मिलित किया गया है। वर्तमान में अनेक गैर सरकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलाहकार एवं गैर सरकारी सदस्यगणों द्वारा उन्हें अनुमन्य टेलीफोन सुविधा पर ब्राडबैण्ड/इन्टरनेट की सुविधा अनुमन्य किये जाने का अनुरोध किया जा रहा है। प्रश्नगत मांग पर विचार किया जाना इसलिए उचित पाया गया है कि किसी भी सूचना तक त्वरित पहुंच तथा जागरूकता के लिए अब इन्टरनेटकी सुविधा उपलब्ध होना आवश्यक है।

2- उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय द्वारा तत्काल प्रभाव से यह स्वीकृति प्रदान की गयी है कि गैर सरकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सलाहकारों को कार्यालय तथा आवास दोनों स्थानों पर प्रति टेलीफोन अथवा मोबाईल हेतु अधितम रू0 2000.00 प्रतिमाह की प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य होगी, जिसमें उनके द्वारा ब्राडबैण्ड/इन्टरनेट की सुविधा पर किया जाने वाला व्यय भी सम्मिलित होगा। इसी प्रकार गैर सरकारी सदस्यगण को आवास पर एक टेलीफोन अथवा एक मोबाईल हेतु अधिकतम रू0 1250.00 प्रति माह की प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य होगी जिसमें ब्राडबैण्ड/इन्टरनेट की सुविधा पर किया जाने वाला व्यय भी सम्मिलित होगा।

3- शासनादेश संख्या-4/जी-2-144/दस-2014-1(विविध)/2014, दिनांक 15 दिसम्बर, 2014 एवं शासनादेश संख्या-8/2016/जी-2-148/दस-2016-1(विविध)/दस-2014, दिनांक 05 अक्टूबर 2016 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,
संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, प्रथम, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4- स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
सरयू प्रसाद मिश्र
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।